ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 141-145
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

उच्च शिक्षित महिलाओं में रोजगार की आकांक्षा

पुनम कुमकारी
मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

Received- 22.08.2020, Revised- 26.08.2020, Accepted - 28.08.2020 E-mail: - dr.ramanyadav@gmail.com

सारांश : *समग्र विकास के लिए महिला का आर्थिक रूप से सशक्त होना आवश्यक है। महिला के रोजगार में हाने से परिवार की शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास तथा परिवार की आया में वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पारम्परिक रूप से, भारतीय महिलायें परिवार पर, वस्तुतः पुरूषों पर, निर्भर रही हैं। आर्थिक क्षेत्र में उन्हें स्वतंत्र कार्य की अनुमति नहीं प्राप्त थी। उनसे यह अपेक्षा की जाती रही है कि वे घरेलू काम–काज, कृषि कार्य एवं पशुपालन में सहयोग करें तथा अपने कौशल से घर में वस्तुओं का निर्माण करें। महिलाओं का परिवार की आय कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं था। परिवार के खर्च के तरीकों का निर्धारण पुरूषों द्वारा ही हाता रहा हैं यह कहावत कि 'महिलाओं का कार्य कभी समाप्त नहीं होता', से महिलाओं की निम्न स्थिति स्वतः प्रमाणित होती है।*

कुंजीभूत शब्द– समग्र विकास, आर्थिक, सशक्त, परिवार, स्वास्थ्य, विकास, सकारात्मक, प्रभाव, पारम्परिक ।

लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाओं की सहाभागिता का स्तर प्रत्येक क्षेत्र में निम्न रहा है (Lopez-Claros and Zahidi (2005) : 1-3) । रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूप से कम है। शिक्षा को महिला–पुरूष असमानता को काम करने का सर्वाधिक सशक्त उपकरण माना जाता है। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि उच्च शिक्षित महिलाओं का रोजगार में समुचित प्रतिनिधित्व होगा। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य मात्रात्मक आधार पर शिक्षित महिलाओं के रोजगार में प्रतिनिधित्व के तथ्य का विश्लेषण करना है। प्रयुक्त तथ्यों का संकलन शोधकर्ता द्वारा अपने शोध के दौरान गोरखपुर नगर की 318 चयनित उच्च शिक्षित विवाहित महिलाओं से किया गया है।

अध्ययन पद्धति– औरंगाबाद में निवास करने वाले हिन्दू परिवारों की उच्च शिक्षित विवाहित महिलाओं में से उद्देश्यपूर्ण निदर्शन की प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध और उपयुक्ता के आधार पर कुल 318 उत्तरदात्रियों का चयन किया गया। सभी उत्तरदात्रियों के शिक्षित होने के कारण सूचना संकलन के लिये प्रश्नावाली प्रविधि का प्रयोग किया गया। संकलित तथ्यों को सम्भव सीमा तक सांख्यिकीय विधियों द्वारा विश्लेषित किया गया है जिसमें सांख्यिकीय प्रोग्राम स्टेस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज (SPSS) की भी सहायता ली गयी।

रोजगार एवं उससे जुड़े तथ्यों के मापन के लिए उच्च शिक्षित विवाहित महिला की तुलना पुरूषों से नन करके सामान्य महिला' से ही की गयी है। 'सामान्य महिला' से आशय उस महिला से है जो उन अभिलक्षणों से युक्त हो जिन्हें राष्ट्रय स्तर पर अशिक्षित, कम शिक्षित तथा उच्च शिक्षित महिलाओं से प्रापत विवरण के आधार पर एक औसत के रूप में परिकलित किया गया हो ;छथै-द्ध 2005. 06द्ध। उच्च शिक्षित विवाहित महिला की तुला 'सामान्य महिला' से इस अपेक्षा के साथ कीगयी कि 'सामान्य महिला' से बेहतर स्थिति से पाये जाने पर उच्च शिक्षित विवाहित महिला की स्थिति को पुरूषों की स्थिति के समकक्ष अथवा सन्निकट माना जायेगा अन्यथा यह माना जायेगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वे जायेगा अन्यथा यह माना जायेगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वे पुरूषों के सापेक्षा 'सामान्य महिलाओं' की भाँति निम्न स्थिति में ही हैं।

प्रतिदर्श– प्रतिदर्श में कुल 318 उच्च शिक्षित विवाहित महिलायें सम्मिलित हैं। इन्हें कुल चार आयु–वर्गों 20–25 वर्ष, 30–35 वर्ष तथा 35–40 वर्ष में विभाजित किया गया है। उत्तरदात्रियों की औसत आयु 31.35 वर्ष है। 47.48 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्नातक स्तर की शिक्षा, 44. 97 प्रतिशत ने परास्नातक स्तर की शिक्षा तथा 7.55 प्रतिशत ने शोध स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। ये उत्तरदात्रियाँ दो प्रकार के गृहों में निवास करती हैं– एकाकी तथा संयुक्त। एकाकी गृह में रहने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत 59.43 है, जबकि संयुक्त गृह में रहने वाली उत्तरदात्रियों का प्रतिशत 40.57 है।

उत्तरदात्रियों में से 35.85 प्रतिशत रोजगार (नौकरी अथवा व्यवसाय) में हैं, जबकि 64.15 प्रतिशत रोजगार में नहीं हैं। स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों में 34. 44 प्रतिशत रोजगार में हैं, जबकि 65.56 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

रोजगार में नहीं हैं। परास्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों में 30.07 प्रतिशत रोजगार में हैं, जबकि 69.93 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ रोजगार में नहीं हैं। शोध स्तर की शिक्षा प्राप्त उत्तरदात्रियों में 79.17 प्रतिशत रोजगार में संलग्न हैं, जबकि 20.83 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ रोजगार में संलग्न नहीं हैं।

तथ्यों का विश्लेषण संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए– लगभग एक तिहाई (35.85 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ ही रोजगार में लगी हुई हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि स्नातक एवं परास्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त विवाहित महिलाओं का लगभग एक तिहाई भाग ही रोजगार में संलग्न है। एन०एफ०एच०एस०–3 के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2005–06 में 'सामान्य महिलाओं' की मात्र 36.30 प्रतिशत ही रोजगार में लगी थीं (NFHS-3 2005.06 # 71)। अतः इससे स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षित विवाहित महिलाओं की 'सामान्य महिलाओं' की ही भाँति रोजगार में संलग्नता का स्तर निम्न है। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि रोजगार के मामले में शिक्षा विवाहित महिला को सशक्त बनाने में अभी अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है क्योंकि शिक्षा प्राप्त होने के उपरान्त भी लगभग दो तिहाई (64.15 प्रतिशत) उच्च शिक्षा प्राप्त विवाहित महिलायें घरेलू महिला के रूप में अपने पति पर निर्भर रहते हुए जीवन व्यतीत कर रही हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शोध उपाधि धारक महिलाओं की रोजगार में संलग्नता का स्तर 'सामान्य महिलाओं' से पूर्णतः भिन्न है। ऐसी महिलाओं का रोजगार में संलग्नता का स्तर उच्चतम (79.17 प्रतिशत) है। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि शैक्षिक योग्यता के उच्चतम स्तर पर विवाहित महिलाओं की स्थिति रोजगार के मामले में पुरूषों के सन्निकट है।

रोजगार में संलग्न उच्च शिक्षा प्राप्त विवाहित महिलाओं का लगभग एक तिहाई भाग (30.70 प्रतिशत) सरकारी सेवा में, तीन पाँचवाँ भाग (60.53 प्रतिशत) गैर–सरकारी सेवा में, जबकि एक दसवें से भी कम भाग (8. 77 प्रतिशत) व्यवसाय में है। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि सामान्यतः उच्च शिक्षित महिलाये सेवान्मुखी हैं,

तालिका 1

रोजगार में संलग्नता

शैक्षिक योग्यता	रोजगार में संलग्नता का विवरण	स्नातक	परस्नातक	शोध
रोजगार में संलग्न	34.44	30.07	79.17	35.85
रोजगार में संलग्न नहीं	65.5	69.93	20.83	64.15
योग	100.00	100.00	100.00	100.00

इनमें व्यवसायोन्मुखता का स्तर अत्यन्त निम्न है महिलाओं में पायी गई यह सामान्य प्रवृति पुरूषों में प्रचलित प्रतिमान से भिन्न नहीं है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शोध उपाधि धारक उत्तरदात्रियों में से कोई भी उत्तरदात्री व्यवसाय में संलग्न नहीं पायी गयी।

तालिका 2

रोजगार की प्रकृति

(प्रतिशत में)

	रोजगार की प्रकृति	स्नातक	परास्नातक	शोध
सरकारी	32.70	30.23	26.32	30.70
गैर–सरकारी	51.92	65.12	73.68	60.53
व्यवसाय	15.38	4.65	8.77	
योग	100.00	100.00	100.00	100.00

इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स डाट काम में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2005 को संगठित क्षेत्र में कार्यरत कुल महिलाओं में से 58 प्रतिशत महिलायें सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में तथा 42 प्रतिशत महिलाये निजी क्षेत्र के रोजगार में कार्यरत थीं (industrial relations. naukrihub. comewomen- employment. html accessed on 04-04-2009)। इस अध्ययन के अनुसार, संगठित क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश 'सामान्य महिलाये' सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके विपरीत, रोजगार में संलग्न उत्तरदात्रियों में से मात्र 30.70 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं।

उच्च शिक्षा प्राप्त विवाहित महिलाओं के एक बड़े भाग (85.09 प्रतिशत) ने नौकरी आथवा व्यवासय की शुरूआत विवाह के बाद किया है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदात्रियों के माता–पिता महिलाओं के रोजगार में आने की प्रतीक्षा नहीं करते, अपितु उनकी शिक्षा के पूरी होते ही अथवा उसके पहले ही उन्हें विवाहित कर देते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि महिलाओं के माता–पिता विवाह के पहले

उनके आत्मनिर्भर होने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं और वे उन्हें उच्च शिक्षा की ओर मुख्यतः इसलिए ले जाते हैं ताकि सुगमता से उनका विवाह हो सकें।

यद्यपि उत्तरदात्रियों के माता–पिता उनको नौकरी या व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि शादी हो जाए इसलिए पढ़ाते हैं तथापि इस मामले में ससुराल पक्ष के लोगों का दृष्टिकोण भिन्न है। संकलित तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि ससुराल में उन्हें नौकरी या व्यवसाय शुरू करने के लिए प्ररित किया जाता है जिससे कि परिवार की आर्थिक गतिविधियों में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

संकलित तथ्यों से यह संकेत मिलता है कि रोजगार में लगी एक चौथाई उत्तरदात्रियों (25.44 प्रतिशत) को नौकरी अथवा व्यवसाय में साथ काम करने वाले पुरूष सदस्यों के दुर्व्यवहार एवं छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। यह प्रतिशत (25.44 प्रतिशत) 'साक्षी' द्वारा कराये गये सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के प्रतिशत (49 प्रतिशत)

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

से बहुत कम है। 'साक्षी' का सर्वेक्षण इस संदर्भ में 'सामान्य महिलाओं' के बारे में निष्कर्ष देता है।

तालिका 3

कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण

कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण	शैक्षिक योग्यता	स्नातक	परास्नातक	शोध
3.1 कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार				
एवं छेड़खानी का सामना करना पड़ता	19.23	27.91	36.84	25.44
नहीं करना पड़ता	80.77	72.09	63.16	74.56
योग	100.00	100.00	100.00	100.00

उच्च शिक्षित महिलायें एवं रोजगार– यद्यपि उच्च शिक्षित विवाहित महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप में यौन उत्पीड़न का सामना 'सामान्य महिलाओं' की अपेक्षा कम करना पड़ता है तथापि उन्हें कार्यस्थल पर अपने पुरूष सहकर्मियों से गन्दी एवं द्विअर्थी बातों का सामना 'सामान्य महिलाओं' की तुलना (53 प्रतिशत) में अधिक (64.91 प्रतिशत) करना पड़ता है।

नौकरी अथवा व्यवसाय में संलग्न तीन चौथाई (75.44 प्रतिशत) उच्च शिक्षा प्राप्त विवाहित महिलाओं की दक्षता को कार्यस्थल पर कम आँका जाता है। स्पष्टतः शिक्षित होने के बाद भी महिलाओं की दक्षता को कम ऑकना यह संकेत करता है कि कार्यस्थल पर पुरूषों का प्रभुत्व बना हुआ है, यद्यपि तुलनात्मक दक्षता के निर्धारण के लिए पृथक वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है।

तालिका 4

कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव

(प्रतिशत में)

कार्यस्थल पर दक्षता को	शैक्षिक योग्यता	स्नातक	परास्नातक	शोध
कम आँका जाता है	75.00	76.74	73.68	75.44
कम नहीं आँका जाता है	25.00	23.26	36.32	24.56
योग	100.00	100.00	100.00	100.00

अधिकांश उत्तरदात्रियों (82.46 प्रतिशत) ने नौकरी अथवा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय अपने पति के साथ मिलकर लिया है। उल्लेखनीय है कि नौकरी अथवा व्यवसाय शुरू करने का स्वयं निर्णय लेने वाली

तालिका 5

नौकरी अथवा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय

(प्रतिशत में)

नौकरी अथवा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय	गृह–स्वरूप	एकाकी	संयुक्त
स्वयं	8.07	11.54	9.65
पति के साथ मिलकर	79.03	65.38	72.81
केवल पति के कहने पर	12.90	23.08	17.54
योग	100.00	100.00	100.00

महिलाओं का प्रतिशत मात्र 9.65 है। इससे स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी महिलाओं को नौकरी अथवा व्यवसाय प्रारम्भ करने के मामले में स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता बहुत ही सीमित है।

एकाकी गृह में निवास करने वाली 87.10 प्रतिशत उच्च शिक्षित विवाहित महिलाओं ने स्वयं या पति के साथ मिलकर नौकरी अथवा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया है, जबकि संयुक्त गृह में निवास करने वाली 76.92 प्रतिशत ने स्वयं या पति के साथ मिलकर नौकरी अथवा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे यह संकेत मिलता है कि नौकरी अथवा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेने के लिए एकाकी गृह में निवास करने वाली महिलाओं को संयुक्त गृह में निवास करने वाली महिलाओं की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हैं।

नौकरी अथवा व्यवसाय में लगी हुई दो–तिहाई (66.67 प्रतिशत) उत्तरदात्रियॉ पति के साथ मिलकर अपनी आय पर नियंत्रण रखती हैं। उल्लेखनीय है कि 14.03 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ अपनी आय के खर्च का निर्णय स्वयं लेती हैं। इससे यह पता चलता है कि स्वयं या पति के साथ मिलकर 80.70 प्रतिशत उत्तरदात्रियॉ अपनी आय पर नियंत्रण रखती हैं। एन०एफ०एच०एस०–3 के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2005–06 में 'सामान्य महिलायें की 24.40 प्रतिशत अपने आय को स्वयं तथा 56.50 प्रतिशत 'सामान्य महिलाओं' अपने पति के साथ मिलकर अपनी आय पर नियंत्रण रखती हैं (NFHS-3 2005.06)। स्पष्ट है कि 80.90 प्रतिशत 'सामान्य महिलायें स्वयं या पति के साथ मिलकर अपनी आय पर नियंत्रण रखती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय पर नियंत्रण के मामले में उच्च शिक्षित विवाहित महिला की स्थिति 'सामान्य महिला' जैसी ही है। यद्यपि अपनी आय पर स्वयं नियंत्रण रखने वाली उच्च शिक्षित विवाहित महिलाओं (14.03 प्रतिशत) और 'सामान्य महिलाओं' (24.40 प्रतिशत) के आँकड़ों में अन्तर है, तथापि दोनों ही आँकड़े यह संकेत करते हैं कि 'सामान्य महिलाओं, की भाँति उच्च शिक्षित विवाहित महिलाये भी अपने द्वारा अर्जित आय पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाती हैं।

तालिका 6

उत्तरदात्रियों के आय पर नियंत्रण

(प्रतिशत में)

आय पर नियंत्रण	गृह–स्वरूप	एकाकी	संयुक्त
स्वयं	14.52	13.46	14.03
पति के साथ मिलकर	72.58	59.62	66.67
केवल पति द्वारा	12.90	26.92	19.30
योग	100.00	100.00	100.00

एकाकी गृह में निवास करने वाली 14.52 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ स्वयं, जबकि 72.58 प्रतिशत पति के साथ मिलकर अपनी आय पर नियंत्रण रखती हैं। संयुक्त गृह में निवास करने वाली 13.46 प्रतिशत स्वयं, तथा 59.62 प्रतिशत पति के साथ मिलकर अपनी आय पर नियंत्रण रखती हैं।

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

स्पष्ट है कि एकाकी एवं संयुक्त गृह में निवास करने वाली उच्च शिक्षित विवाहित महिलायें समान रूप से अपनी आय पर स्वयं नियंत्रण रखती हैं। परन्तु यह उललेखनीय है कि आय के नियंत्रण के मामले में एकाकी गृह में निवास करने वाली महिलाओं की भगीदारी (87.10 प्रतिशत) संयुकत गृह में निवास करने वाली महिलाओं की भागीदारी (73.08 प्रतिशत) से अधिक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आय पर नियंत्रण रखने के मामले मे एकाकी गृह में निवास करने वाली उच्च शिक्षित विवाहित महिलाओं की स्थिति संयुकत गृह में निवास करने वाली महिलाओं से कहीं अच्छी है।

तालिका 7

नौकरी अथवा व्यवसाय जनित परेशानी का वितरण

(प्रतिशत में)

नौकरी अथवा व्यवसाय जनित परेशानी	गृह–स्वरूप	एकाकी	संयुक्त
बच्चों के देखभाल करने में कठिनाई	32.65	2.38	18.68
व्यस्तता	65.31	71.43	68.14
स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियॉ	2.0	11.90	6.59
परिवार द्वारा समय की पाबंदी	14.29	5.59	
योग	100.00	100.00	100.00

संकलित तथ्यों से यह पता चलता है कि रोजगार में लगी हुई उत्तरदात्रियों के लगभग चार पाँचवों भाग (79. 82 प्रतिशत) को नौकरी अथवा व्यवसाय जनित परेशानी का सामना करना पड़ता है। नौकरी अथवा व्यवसाय जनित परेशानियों में सर्वाधिक उत्तरदात्रियाँ (68.14 प्रतिशत) व्यस्तता का सामना करती हैं।

तथ्यों ये यह पता चलता है कि नौकरी अथवा व्यवसाय जनित परेशानी में व्यस्तता का सामना संयुक्त गृह में निवास करने वाली उत्तरदात्रियॉ एकाकी गृह में निवास करने वाली उत्तरदात्रियों की अपेक्षा (65.31 प्रतिशत) अधिक (71.43 प्रतिशत) करती हैं। बच्चों की देखभाल करने में कठिनाई का सामना एकाकी गृह में निवास करने वाली उत्तरदात्रियॉ अधिक (32.65 प्रतिशत) करती हैं, जबकि संयुक्त गृह में निवास करने वाली उत्तरदात्रियों को इस परेशानी का सामना कहीं कम (2.38 प्रतिशत) करना पड़ता है। स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी का सामना संयुक्त गृह में निवास करने वाली उत्तरदात्रियॉ अधिक (11.90 प्रतिशत) करती हैं, जबकि एकाकी गृह में निवास करने वाली उत्तरदात्रियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानियों का सामना कम (2.04 प्रतिशत) करना पड़ता है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि परिवार द्वारा समय की पाबंदी का सामना करने वाली सभी उत्तरदात्रियाँ संयुक्त गृह की हैं। स्पष्ट है कि बच्चों के पालन–पोषण के विषय को छोड़कर अन्य विषयों में संयुक्त गृह में निवास करने वाली उच्च शिक्षित विवाहित महिलायें एकाकी गृह में निवास करने वाली उच्च शिक्षित विवाहित महिलाओं की अपेक्षा नौकरी अथवा व्यवसाय जनित परेशानियों का सामना अधिक करती हैं।

उच्च शिक्षित विवाहित महिलाओं की स्वतंत्रता के स्तर को समझने के लिए उन पर आरोपित घरेलू कार्य–बोझ के तथ्य को भी संकलित और विश्लेषित किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य पता चलता है कि कोई भी उत्तरदात्री ऐसी नहीं है जो घरेलू कार्य न करती हो। घरेलू कार्य में गृहणियों की संलग्नता का स्तर उच्चतम है। रोजगार में संलग्न महिलायें भी घरेलू कार्य करने के दायित्व से मुक्त नहीं हैं। रोजगार में संलग्न सभी उत्तरदात्रियों को निम्न अथवा उच्च स्तर पर दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि घरेलू काम–काज की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही आरोपित हैं।

निष्कर्ष– संकलित तथ्यों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि उच्च शिक्षा ने महिलाओं को सैद्धान्तिक अपेक्षा के स्तर तक सशक्त नहीं बनाया है पुरूषों की तुलना में उच्च शिक्षित महिलाओं की रोजगार में संलग्नता का स्तर निम्न है। यद्यपि 'सामान्य महिलाओं' की तुलना में उच्च शिक्षित महिलाओं को कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार एवं छेड़खानी का सामना कम करना पड़ता है तथापि 'सामान्य महिलाओं' की तुलना में उन्हें गन्दी एवं द्विअर्थी बातों का सामना अधिक करना पड़ता है। कार्यस्थल पर पुरूषों की तुलना में महिलाओं की दक्षता को कम आंका जाता है। उनका अपनी आय पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं है। नौकरी अथवा व्यवसाय करने वाली महिलाये भी घरेलू कार्यों के दायित्व से मुक्त नहीं हैं। इस प्रकार उन्हें दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है और वे पारिवारिक घेरे में अपने पति के अधीन हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Eleventh Five Year Plan, Employment Per spective and Labour Policy:73(planning com mission.
2. ineplanse planrele fiveryre 11 the 11_v1_ch4. pdf industrial relations. naukrihub. comewomen - employment. html accessed on 04-04-2009.
3. Lopez-Claroc, Augusto and Zahidi, Saadia (2005) : Womens Empowerment- Measuring the Global Gender Gap, World National Fam ily Health Survey Report-3 (2005-06) Vol ume1.

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

4. Pandey, Prem Prakash (2011) : Shikshitoon Me Laingik Bhedbhao, . Radha Publications, New Delhi.
5. Selltiz, C.et al. (1959) : Research Methods in Social Relations, Halt, Rinehart and Winston, Newyork.
6. Thakur, Nidhi (2006) : Samaj Vaigyaniki, Gaurav Prakashan, Rewa, October 2006.

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*